

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 465

वृहस्पतिवार, दिनांक 22 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु

गैर-परंपरागत सौर ऊर्जा

465. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री चन्द्र शेखर साहू:

श्री विद्युत बरन महतो:

श्री मनोज तिवारी:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहा: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) क्या सभी राज्यों में गैर-परंपरागत सौर ऊर्जा उत्पादित करने हेतु प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की गैर-परंपरागत ऊर्जा उत्पादन की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों को नैसर्गिक निर्धारित समान तथा उपवर्गीकृत नवीकरण खरीद बाध्यता (आरपीओ) का पालन करने को कहा है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
- (ङ) क्या गैर-परंपरागत ऊर्जा की कम संभावना वाले राज्यों ने आरपीओ लक्ष्यों के अनुपालन से उन्हें बाहर रखने की मांग की है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): अक्षय ऊर्जा क्षमता राज्य दर राज्य अलग-अलग है। देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए अभिज्ञात अनुमानित अक्षय ऊर्जा क्षमता (बड़ी पन बिजली को छोड़कर) के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): विद्युत मंत्रालय ने सभी राज्यों में अक्षय ऊर्जा के संतुलित विकास के लक्ष्यार्थ सौर एवं गैर-सौर की दो वृहत श्रेणियों के तहत वर्ष 2021-22 तक के लिए समान अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) ट्रेजेक्ट्री अधिसूचित की है। सौर एवं गैर-सौर (पवन, बायोमास, लघु जल विद्युत आदि) अक्षय ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए समान आरपीओ ट्रेजेक्ट्री बनाई गई है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ङ) के अनुसार संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग समय-समय पर राज्य-विशिष्ट आरपीओ लक्ष्य अधिसूचित करते हैं।

(ङ) और (च): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को किसी भी राज्य से आरपीओ लक्ष्यों की अनुपालना से उन्हें मुक्त करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

‘गैर परंपरागत सौर ऊर्जा’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 22.07.2021 के लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 465 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अक्षय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता का स्रोत और राज्य-वार विवरण मेगावाट में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत	लघु पन बिजली	बायो-ऊर्जा			सौर	कुल
				बायोमास विद्युत	खोई सह उत्पादन	अपशिष्ट से ऊर्जा		
		(मेगावाट) 120 मी. की दर से	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आन्ध्र प्रदेश	74906	409.32	578	300	123	38440	114756
2	अरुणाचल प्रदेश	274	2064.92	8			8650	10997
3	असम	246	201.99	212		8	13760	14428
4	बिहार	3650	526.98	619	300	73	11200	16369
5	छत्तीसगढ़	348	1098.20	236		24	18270	19976
6	गोवा	8	4.70	26			880	918
7	गुजरात	142560	201.97	1221	350	112	35770	180215
8	हरियाणा	419	107.40	1333	350	24	4560	6793
9	हिमाचल प्रदेश	151	3460.34	142		2	33840	37595
10	जम्मू और कश्मीर	3	1707.45	43			111050	112803
11	झारखंड	0	227.96	90		10	18180	18508
12	कर्नाटक	124155	3726.49	1131	450		24700	154162
13	केरल	2311	647.15	1044		36	6110	10149
14	मध्य प्रदेश	15404	820.44	1364		78	61660	79326
15	महाराष्ट्र	98213	786.46	1887	1250	287	64320	166744
16	मणिपुर	0	99.95	13		2	10630	10745
17	मेघालय	1	230.05	11		2	5860	6104
18	मिजोरम	0	168.90	1		2	9090	9261
19	नागालैंड	0	182.18	10			7290	7482
20	ओडिशा	8346	286.22	246		22	25780	34681
21	पंजाब	278	578.28	3172	300	45	2810	7183
22	राजस्थान	127756	51.67	1039		62	142310	271219
23	सिक्किम	0	266.64	2			4940	5209
24	तमिलनाडु	68750	604.46	1070	450	151	17670	88695
25	तेलंगाना	24835	102.25				20410	45347
26	त्रिपुरा	0	46.86	3		2	2080	2131
27	उत्तर प्रदेश	101	460.75	1617	1250	176	22830	26434
28	उत्तराखंड	54	1664.31	24		5	16800	18547
29	पश्चिम बंगाल	1050	392.06	396		148	6260	8246
30	अंडमान और निकोबार	1277	7.27				0	1284
31	चंडीगढ़	0				6	0	6
32	दादर और नगर हवेली	0					0	0
33	दमन और दीव	0					0	0
34	दिल्ली	0				131	2050	2181
35	लक्षद्वीप	31					0	31
36	पुडुचेरी	382				3	0	385
37	अन्य					1022	790	1812
	कुल	695509.00	21133.62	17536.41	5000.00	2554.00	748990.00	1490723.03